SYMBOL OF QUALITY

RUNGTA IRRIGATION LIMITED

REGD. & HEAD OFFICE :
101, Pragati Tower 26, Rajendra Place, New Delhi - 110008
Ph. : 011-40453330, 331, 332
CIN : L74899DL1986PLC023934
E-mail : info@rungtairrigation.in
Website : www.rungtairrigation.in

To,
The General Manager,
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai -400001

August 26, 2025

Scrip Code: 530449

Subject: Newspaper Advertisement-Disclosure under Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations').

Pursuant to Regulation 30, 47 of the SEBI Listing Regulations and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, relevant Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), please find copies of the newspaper advertisements published on August 26, 2026, in following Newspapers regarding Notice of 42nd Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Tuesday, September 29, 2026 at 12:00 p.m. (IST) through Video Conference (VC) /Other Audio Visual Means (OAVM):

1. In English Daily – The Pioneer New Delhi

2. In Hindi Daily – Pioneer New Delhi

Further, it is hereby informed that the Notice of the 42nd AGM together with the Annual Report for the financial year 2025-26 ("Annual Report") will be circulated in due course to those Members whose email addresses are registered with the Company, their Depository Participants ("DPs"), and/or the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"). Additionally, the Company will dispatch a communication containing the web link and the exact path to access the Annual Report to those shareholders whose email addresses are not registered with the Company, the DPs, or the RTA.

You are requested to kindly take the aforesaid information on your record.

Yours faithfully,
For Rungta Irrigation Limited

Rekha Rathore
Digitally signed by Rekha Rathore
Date: 2026.08.26 14:31:35 +05'30'

Rekha Rathore
(Company Secretary & Compliance Officer)
ICSI Membership No. A16433

LG lays foundation for D-Wall at Shivaji Stadium metro station

PIONEER NEWS SERVICE
New Delhi



The Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) on Tuesday commenced construction work at Shivaji Stadium Metro Station to extend the existing Magenta Line from Janakpuri West to RK Ashram Marg, a Central Vista corridor project. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu laid the foundation for the construction of the D-Wall at the station.

"A critical 29-metre-deep engineering feat, the station will feature direct subway integration with the Airport Express Line and Rajiv Chowk, seamlessly connecting key institutions while helping decongest central transit nodes," Sandhu said on X. He termed the project a major stride towards building modern seamless connectivity for a 'Viksit Delhi'.

According to DMRC, the upcoming underground station will be connected to the existing Shivaji Stadium station on the Airport Express Line through a 230-metre subway, allowing interchange between the two lines.

Shivaji Stadium Metro Station will be connected to Rajiv Chowk Metro Station through an 800-metre-long subway equipped with travelators, providing seamless and convenient pedestrian connectivity for commuters between the two stations.

The diaphragm wall at the new Shivaji Stadium station will be at a depth of about 38 metres, which would be equivalent to the height of a 12-storey building. Construction at such depth has been necessitated since the station will be below the existing Airport Express Line alignment.

Around 3,000 cubic metres of concrete per month will require approximately 500 transit mixer trips per month, while excavation of nearly 15,000 cubic metres per month will necessitate the movement of about 750 dumper trips per month, resulting in the use of 25 dumper trips per day for disposal of excavated material.

It said measures such as covering excavated material, wheel washing, preventing material spillage and immediately cleaning affected roads would be adopted to minimise inconvenience to commuters and residents and maintain smooth traffic movement. Afcons Infrastructure Ltd has been entrusted with the construction work, it added.

The Shivaji Stadium Metro station is expected to significantly benefit employees working in the surrounding areas, school students, devotees visiting Bangla Sahib Gurudwara, and passengers travelling on the Airport Express Line.

M/s Afcons Infrastructure Limited has been entrusted with the responsibility of carrying out the construction work here. The Central Vista Corridor spans approximately 9.913 km and will have nine underground stations, namely: Shivaji Stadium, Yuge Yugeen Bharat, Central Secretariat, Kartavya Bhawan, India Gate, War Memorial-High Court, Baroda House, Bharat Mandapam, and Indraprastha.

Construction work at Central Secretariat Metro station, also part of the corridor, commenced on June 24.

Police overhauls intelligence gathering after July 20 violence

PRAMOD KUMAR SINGH
New Delhi

After the major protests and violence in Delhi on July 20, the Delhi Police have started a complete review of how they gather intelligence. Police Commissioner Anurag Kumar has told the Special Branch to collect and study at least ten key pieces of information before any big protest is planned in the city.

Delhi Police sources said this decision came after an honest review showed that their current methods did not work well on July 20. Officials found they lacked accurate or timely information about how many protesters to expect, how they would gather, or what roles different groups would play in the protest.

The police knew only the protest location and had a rough idea of the crowd size, which was not enough to predict the unrest or how quickly things would turn violent. "There was a clear gap between the intelligence we received and the ground reality that unfolded," a senior officer involved in the review said. "Simply knowing where people would gather and roughly how many might turn up is no longer enough. We need actionable, multi-layered insights that allow commanders to plan deployments, containment strategies and contingency measures with far greater accuracy."

Under the new rules, the Special Branch must go beyond basic checks. Sources say the ten key areas will likely include detailed group numbers, how and where people will gather, who



leads and influences the groups, chances of multiple protests happening at once, possible trouble spots, outside involvement, social media activity, past behaviour of the groups, how long the protest might last, and any signs that people plan to break rules or enter restricted areas.

The focus now is on creating useful, forward-looking intelligence, not just watching events unfold. The violence on July 20 showed weaknesses in the old system. Police sources admitted that not having detailed information in advance made it harder to make quick decisions and put extra strain on resources. Because of this, Commissioner Kumar has ordered a full review of how intelligence is collected, analysed, and shared with teams on the ground.

Senior officers said the Special Branch must now write detailed reports for every major planned protest. These reports will be shared in advance with district police and special units so they can better plan for force numbers, barricades, traffic changes, and quick-response teams. This change is also intended to help the police work more effectively with other agencies that track social media and public information. The police have not shared the full list of ten key areas, but sources stressed that the main aim is to get useful and reliable information. "The goal is not to collect more data for the sake of it, but to ensure that what reaches decision-makers is specific, verified and relevant to operational planning," another official said.

This overhaul comes after several large gatherings in Delhi have sometimes turned disorderly. Police leaders say the right to peaceful protest is still protected, but now the intelligence wing has more responsibility for predicting and handling possible problems.

Police top brass are also discussing if they need more staff or better technology to meet these new standards. As the Special Branch starts using the new rules, officers say the real test will be the next big protest.

The police hope that having more detailed information before events will help them avoid surprises and keep order more easily. Sources said the review of the intelligence system will continue over the next few weeks, and further changes may be made once they see how the new approach works.

For now, the message from police leaders is clear: rough guesses and basic venue details are not enough. Delhi Police want more detailed and useful intelligence before any crowds gather in the city, sources added.

No shortage of onion, sugar: Govt

PIONEER NEWS SERVICE
New Delhi



Even as citizens of the national Capital are shelling out more for onions and sugar due to a sharp price spurt in these essentials, the Delhi Government on Tuesday claimed there was currently no shortage of these items. However, if prices rise further, the Delhi Government will ensure that residents do not have to bear the additional burden.

At a review meeting of Delhi Government's Food and Supplies department, chief minister Rekha Gupta assessed the availability of sugar and onion in the Capital at a review meeting, and warned of strict action against hoarders. The chief minister said the Government will monitor the availability of sugar and onion and procure them from NAFED in case prices rise further to ensure people get them at affordable rates. The chief minister further directed the department to prepare a detailed plan. At the meeting, officials said there is currently no shortage of onion or sugar in the Capital.

However, if prices rise further, the Delhi Government will procure onion and sugar from the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED), a Central Government body, and arrange to make them available at various locations across the Capital, a statement from the chief minister's office said.

These items will be sold based on the prices at which they are procured from NAFED, while the Delhi Government will bear the cost of transportation and other related expenses, it said. The all-India average retail price of onion jumped more than 28 per cent in a month to ₹44.72/kg on August 25, up from ₹34.80 per kg on July 25.

Department of Consumer Affairs Secretary Nidhi Khare on Tuesday said the Government will sell onions at a subsidised rate of ₹35 per kg in the national Capital, a discount of around 36 per cent from the prevailing average retail price, with the help of 800 tonnes of fresh vegetable supplies reaching here on Wednesday through the first 'Kanda Express'.

DDA to enrol 750 lifetime members at Roshanara Club

PIONEER NEWS SERVICE
New Delhi

Following the directions of the Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu, the Delhi Development Authority (DDA) will enrol 750 new lifetime members of the iconic Roshanara Club. Beginning on August 28, the scheme will remain open till October 27.

Under the lifetime membership scheme, 400 memberships are being offered under the non-Government category at a membership charge of Rs 12.50 lakh plus GST, while 350 memberships are being offered under the Government/PSU category at Rs 4 lakh plus GST.

The club remained closed to public membership for several years. Calling it an opportunity for sports lovers and heritage enthusiasts, officials said the members would have access to exclusive facilities, including the recently launched clubhouse offering food and beverage services, a card room and a gymnasium. All facilities will be available to members and their dependants, while up to six guests will be allowed per member.

The Club House provides members with a range of leisure and social facilities, including a lounge, restaurant, café and dining areas, bar, banquet facilities, kids' zone, billiards and card room. These facilities will be available to members in accordance with the applicable Bye-Laws and prescribed charges.

"Registration for the membership scheme will open on 28 August 2026 at 12:00 AM and remain open till 27 October 2026 at 11:59 PM. Interested applicants can register and complete the payment process through the DDA Roshanara Club Membership registration portal:https://online.dda.org.in/golfcourse/RoshanaraClub/RoshanaraClubHome.aspx,"



the DDA said in a statement.

The Roshanara Club offers a wide range of sports, fitness and recreational facilities. These include a main cricket pitch and practice pitches, tennis, squash, basketball, badminton, table tennis, pickleball, swimming pool, toddler's pool, multi-gym and fitness centre, as well as yoga and yoga classes. For budding sports enthusiasts, the Club also offers coaching facilities, including training by qualified coaches in select disciplines. The cricket ground can also be made available for matches, tournaments and sporting or corporate events, providing members with opportunities to train, play and participate in a range of sporting activities.

The lifetime membership offers members access to a comprehensive sports, fitness, recreational and social environment, including outdoor and indoor sports, fitness and wellness activities, swimming, recreational games, dining and social spaces. It also supports better utilisation of the Club's extensive sports and recreational infrastructure.

DDA Roshanara Club, spread over 22 acres of green surroundings, has a unique sporting legacy. The Club is associated with the early history of Indian cricket and is recognised as the birthplace of the Board of Control for Cricket in India (BCCI). Over a century old, the Club was officially taken over by DDA on 29 September 2023 after the Delhi High Court upheld its eviction order.

Through this membership, DDA is providing sports and heritage enthusiasts an opportunity to become part of an enduring legacy, a club that has witnessed history, nurtured sporting excellence and continues to reflect Delhi's vibrant and evolving cultural fabric.

DDA has played an important role in developing sports infrastructure and promoting sports in the national capital. At present, DDA has 18 sports complexes, four mini sports complexes and 3 public golf courses across Delhi.

PUBLIC NOTICE

My client named Sh. Jai Prakash, S/o- Sh. Pat Ram, & Smt. Mukesh, W/o- Sh. Jai Prakash, R/o- H. No. T-34, Street No. 2, Shiv Mandir, Village-Tukmirpur, Karawal Nagar, North-East, Delhi-110094, have debarred, disowned, disinherited & withdrawn all relationships with their son and daughter-in-law (Bahu) named Sh. Pankaj Kumar and Smt. Rakhi from their moveable, immovable properties & Business as being disobedient, disrespectful, out of control and of quarrelsome nature. My client has also severed and disconnected all their relations & ties with them. If anyone deals with them, he/she/they may do so at their own risk, cost and consequences. My client shall not be responsible to anybody for their acts and deeds.

K.K. JHA, MANISH KUMAR, (ADVOCATES)
CHAMBER NO. Y-2A, CIVIL SIDE,
TIS HAZARI COURT, DELHI- 110054

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the General public on behalf of our client i.e. ICICI Bank Ltd. that Mr. Vikas Soni is owner of Portion admeasuring 658 Sq Yds, Marked as Red Colour in Plan, i.e. 40% share of the Industrial / Commercial Property / Plot no. 3, Area Measuring 1664 sq. yds. situated in Industrial Area Moti Nagar, Delhi "the said property. by virtue of Relinquishment deed dated 22.02.2017, registration No. 2219, executed by Mr. Navin Soni, All persons are hereby informed that above mentioned owner want to take loan from our client Against the said Portion, if any body including other legal hairs has any objection/s upon the said Portion its sale and mortgage, & any kind of litigation etc. & ownership of Mr. Vikas Soni, kindly inform the undersigned in writing on the below mentioned address with in 07 days of the present.

Kumar & Associates (Advocates & Consultants)
200, IInd Flr. 23, Shivaji Marg, Moti Nagar, N.Delhi-15
legal@knalegal.com Ph: 011-41112527-28

The Pioneer Classified

CHANGE OF NAME

I, Mohd Saleem S/o- Rudey Khan, R/o- Vill + PO- Asara, Dist- Baghpat, U.P.- 250623, declare that in my Driving License (No.UP1720130010497), my father's name is wrongly written as Ruda Khan, whereas his correct name is Rudey Khan which may be amended accordingly.

I, Dadi Pedaapparao, Father of No.6501202F Nk Dadi Nanaji, R/o- Vill- Kattubolu, PO- Dimili, Mandalam- Rambilli, Dist- Anakapalli, Andhra Pradesh-531061 have changed my name from Dadi Pedaapparao to Dadi Peda Apparao, vide affidavit dated 25/08/2026 before Notary Public Delhi.

I, JC-454572H Nb Sub Hare Ram Yadav of 18 Grenadiers C/O 56 Apo R/O Vill- Sidhauli, Teh- Sikandarpur, Dist- Ballia, Uttar Pradesh-277124 declare that my son's name is wrongly mentioned as Mohit Kumar Yadav in my service records and his correct name is Mohit Yadav for all future purposes vide affidavit before Public Notary Delhi 25-08-2026.

I, Pachiya Bai Ahirwar, Mother of No.15722751A Hav Raju Ahirwar, R/o- Vill- Gandhi Nagar, PO- Mailwar, PS & Teh- Badamalhara, Dist- Chhatarpur, Madhya Pradesh-471311, have changed my name from Pachiya Bai Ahirwar to Pachiya Ahirwar, vide affidavit dated 25/08/2026 before Notary Public Delhi.

I, Rajwanti Devi, Mother of No.10136570N Hav Sandeep Kumar, R/o- Vill- Ruriawas, PO- Noganwa, Dist- Jhajjar, Haryana- 124106, have changed my name from Rajwanti Devi to Rajwanti, vide affidavit dated 25/08/2026 before Notary Public Delhi.

I, Shivdevi, Mother of No.16016010W Hav Ravindra Kumar, R/o- Vill- Shekhpur, PO- Sikarpur, Dist- Bulandshahr, U.P.- 202395, have changed my name from Shivdevi to Shivdaiyee, vide affidavit dated 25/08/2026 before Notary Public Delhi.

I, DOLLY TIWARI, Mother of Ansh Tiwari, W/o Ashok Kumar Tiwari R/o Khasra No.-510, Flat No.-8, Bharat Apartment, Shakti Enclave, Burari, North Delhi, Delhi-110084 have changed my name from DOLLY TIWARI to DOLLY KHATRI for all future purposes.

VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LTD
Unit 203 & 204, 2nd Floor, "A" Wing, Navbharat Estate, Zakaria Bunder Road, Sewri (West), Mumbai 400015. Maharashtra.
CIN No.: U65922MH2005PLC272501

POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of Vastu Housing Finance Corporation Limited under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred to him under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice calling upon the borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the respective notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the date mentioned below. The borrower and guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Vastu Housing Finance Corporation Limited Branch for an amount metioned as below and interest thereon, costs etc.

S N	Name of Borrower, Co-Borrower and LAN No.	Date & Amount of Demand Notice	Description of Property	Date & Type of Possession
1	Bhagban Devi (Borrower), Mukesh Kumar(Co Borrower LP0000000101285	21/May/26 Rs.490484/- as on 12/May/26	All that part and parcel of the Immovable property situated at, Property Of Plot On Land Measuring Area 98.882 Sq. Mts Situated At In Datoji Linepar,mata Rani Mandir, Tehsil And Distt Firozabad-283203 Boundaries as follows: North – Plot of Dharmendra Yaday South – Plot of Ashok Kumar East – Rasta 12 ft. West – Plot of Prabhu Dayal Rathore	Symbolic Possession Taken 22/08/2026

Date : 26.08.2026
Place : Firozabad
Authorised officer
Vastu Housing Finance Corporation Ltd

RUNGTA IRRIGATION LIMITED
REGD. & HEAD OFFICE:
101, Pragati Tower 26, Rajendra Place, New Delhi 110008
Tel: 011-40453330,331,332 | CIN : L74899DL1986PLC023934
E-mail: info@rungtairrigation.in | Website: www.rungtairrigation.in

42ND ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF RUNGTA IRRIGATION LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

Notice is hereby given that the 42ND AGM of the members of the Rungta Irrigation Limited (the Company) will be held through VC/OAVM on Tuesday, September 29, 2026 at 12:00 P.M. (IST), to transact the business set out in the Notice of the AGM ("Notice") which is being circulated for convening the AGM.

Service of Notice and Annual Report via e-mail:

In compliance with the relevant SEBI Circulars, copies of the Notice along with the Annual Report for the Financial Year 2025-26 ("Annual Report") will be sent only through electronic mode to the members/register of beneficial owners maintained by the depositories as on Saturday, August 22, 2026 and whose email addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent (RTA)/ depository participant(s). The same will also be available on Company's website i.e., www.rungtairrigation.in, website of stock exchange i.e., at BSE Limited (www.bseindia.com) and on the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com). Additionally, an intimation letter providing the web-link and detailed path to access the Notice and Annual Report is being sent to those shareholders who have not registered their email addresses with the Company/Registrar & Share Transfer Agent (RTA)/depository participant(s). Any member requiring the hard copy of Notice and Annual Report may write to Company at cs@rungtairrigation.in.

Manner of Registering / Updating e-mail address:

Members of the Company holding shares in physical/dematerialized form and who have not registered/updated their e-mail addresses by following the process as set forth in the Notice. Members who wish to permanently register their email address with the company may follow below instructions-

For shares held in Dematerialized Form	Shareholder are requested to register their email address with the respective DP by following the procedure prescribed by DP.
For shares held in Physical Form	Shareholder are requested to register their email address with RTA, by submitting the form ISR-1 along with self attested copy of PAN and aadhar card to the RTA at M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd at BEETAL HOUSE, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind LSC, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062 Shareholder may download the form from RTA website at www.beetalfinancial.com and may also be downloaded from the company's website at www.rungtairrigation.in.

Once the email address is successfully registered, a copy of the Notice along with the Annual Report will be sent to the registered email address along with the User ID and the password to cast vote.

Further those shareholders who have already registered their email addresses are requested to keep their email addresses validated updated with their DP/RTA to enable service of notice/annual report and other communication electronically to their email addresses in the future.

Members are requested to carefully read the Notice and in particular, instructions for joining AGM, manner of casting vote through remote e-voting at the AGM.

Register of members and share tra6sfer book of the Company shall remain closed from 23.09.2026 to 29.09.2025 (both days inclusive).

For and or behalf of Board of Directors
Rungta Irrigation Limited
Sd/-
Rekha Rathore
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 25.08.2026

NORTHERN RAILWAY
E-AUCTION NOTICE

The Sr. Divisional Commercial Manager/G, Northern Railway, Delhi Division, New Delhi invites e-Auction through IREPS (**https://ireps.gov.in/**) for allotment of contracts of General Minor Units (GMUs) and Special Minor Units (SMUs) for Catering Units at following railway stations/locations:

S.N.	Auction Catalogue No.	Date & Time for e-Auction	Railway Station	Lot No.	Type of Unit
1	CTG-AUG-02-26	09.09.2026 at 11:00 Hrs	Samalkha	Catg-DLI-SMK-GMU-87-25-1	General Minor Unit (GMU)
2			Okhla	Catg-DLI-OKA-GMU-170-25-1	
3			Tugalakabad	Catg-DLI-TKD-GMU-169-25-1	
4			Sampla	Catg-DLI-SPZ-GMU-150-25-1	
5				Catg-DLI-SPZ-GMU-149-25-1	
6			Mohiuddinpur	Catg-DLI-MUZ-GMU-154-25-1	
7			Mandawali Chander Vihar Halt	Catg-DLI-MWC-GMU-113-25-1	
8			Sujra Halt	Catg-DLI-SUJR-GMU-112-25-1	
9			Tilak Bridge	Catg-DLI-TKJ-GMU-111-25-1	
10			Taj Nagar	Catg-DLI-TNJR-GMU-176-25-1	
11			Patel Nagar	Catg-DLI-PTNR-GMU-142-25-1	
12			Sunehra	Catg-DLI-SFA-GMU-107-25-1	
13			Vivek Vihar	Catg-DLI-VVB-GMU-109-25-1	
14			Shahabad Markanda	Catg-DLI-SHDM-GMU-131-25-1	
15			Rathdhana	Catg-DLI-RDDE-GMU-155-25-1	
16			Muradnagar	Catg-DLI-MUD-GMU-91-25-1	
17				Catg-DLI-MUD-GMU-128-25-1	
18			Uchana	Catg-DLI-UCA-GMU-110-25-1	
19			Partapur	Catg-DLI-PRTP-GMU-156-25-1	
20			Daya Basti	Catg-DLI-DBSI-SMU-116-25-1	Special Minor Unit (SMU)
21			Delhi Azadpur	Catg-DLI-DAZ-SMU-122-25-1	
22			Palwal	Catg-DLI-PWL-SMU-166-25-1	
23			Tuglakabad	Catg-DLI-TKD-SMU-117-25-1	

Website particulars where complete details of E-Auction can be seen	https://ireps.gov.in/ (E-Auction-Leasing)

All contractors who intend to participate in the e-auctions conducted through E-Auction Leasing module of IREPS should fulfil following mandatory requirements before they can submit their bids:

- Registration on IREPS for E-Auction Leasing module – Active IREPS User Account for E-Auction Leasing Module.
- Payment of One Time Registration Fee; Current Account in State Bank of India; Integration of SBI Bank Account with IREPS Account; Lien Marking of Funds; Updation of Turnover Details.
- A new mechanism namely **Virtual Account Number (VAN)** has been introduced now for E-Auction Leasing module, which can be used by the bidders as an alternative to Lien Marking Mechanism.
- The bidders are free to switch between Lien Marking Mechanism (if activated) and VAN mechanism at any point of time, before entering the bidding room. VAN mechanism does not require the bidder to have a current account in State Bank of India. The users are free to transfer money from any of their existing bank accounts in any bank to their VAN account, which enables them to participate in IREPS E-Auctions.
- Contractors who do not have IREPS account for any module of IREPS can submit their online request for registration by clicking on New Vendors / Contractors (E-Tender / E-Auction Leasing) link on IREPS Home page.

Railway Authority to Contact, in case of any query	Divisional Railway Manager's Office Commercial Branch, State Entry Road,New Delhi – 110055, **Email:** catering.delhidivision@gmail.com, **Tel:** 011-23743084

No. 23 AC/Ctg./e-Auction/GMU & SMU/2026 Date: 24.08.2026
2945/2026
SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

कीमतें बढ़ने पर सरकार नेफेड से खरीदेगी चीनी प्याज, जमाखोरों पर कसेंगे शिकंजा : मुख्यमंत्री

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली



मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार शहर में चीनी और प्याज की उपलब्धता की निगरानी करेगी और कीमतें बढ़ने की स्थिति में नेफेड से दोनों वस्तुएं खरीदेगी, ताकि लोगों को ये सस्ती दरों पर मिल सकें। गुप्ता ने एक समीक्षा बैठक में चीनी और प्याज की उपलब्धता का आकलन किया और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार प्याज और चीनी की बढ़ती कीमतों का बोझ लोगों पर नहीं पड़ने देगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के मुताबिक, बैठक में अधिकारियों ने कहा कि राजधानी में फिलहाल प्याज या चीनी की कोई कमी नहीं है तथा अगर कीमतें और बढ़ती हैं तो दिल्ली सरकार भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) से प्याज और चीनी खरीदेगी और उन्हें राजधानी के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। इसमें कहा गया है कि इन वस्तुओं की बिक्री नेफेड से प्राप्त कीमत के आधार पर की जाएगी, जबकि परिवहन आदि का खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को कीमतों में और वृद्धि की संभावना के मद्देनजर दिल्ली भर में विभिन्न स्थानों पर शिविरों के माध्यम से लोगों को सस्ती प्याज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। बयान के अनुसार गुप्ता ने अधिकारियों से नेफेड से प्याज खरीदने की प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने प्याज की कमी का सामना कर रहे राज्यों और क्षेत्रों में प्याज की आपूर्ति के लिए कदम उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि विभाग को दिल्ली को मिलने वाले प्याज की आपूर्ति की निगरानी के लिए व्यवस्था करने और जमाखोरी रोकने के लिए कहा गया है। साथ में जहां आवश्यक हो, वहां जरूरी कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। सिरसा ने कहा कि केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए मात्रा संबंधी प्रावधान निर्धारित किये हैं। प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत एक महीने में 28 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 25 अगस्त को 44.72 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जो 25 जुलाई को 34.80 रुपये प्रति किलोग्राम थी। प्रमुख शहरों में, मंगलवार को प्याज की खुदरा कीमतें चेन्नई में 60 रुपये प्रति किलोग्राम, दिल्ली में 55 रुपये प्रति किलोग्राम, कोलकाता में 60 रुपये प्रति किलोग्राम और मुंबई में 48 रुपये प्रति किलोग्राम रहीं।

मुख्यमंत्री ने निर्माण उद्योग बचाव मोर्चा के साथ की बैठक

नई दिल्ली। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को निर्माण उद्योग बचाव मोर्चा के सदस्यों एवं निर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज निर्माण उद्योग बचाव मोर्चा के सदस्यों एवं निर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर ग्रैप के दौरान निर्माण गतिविधियों से जुड़ी उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास दोनों दिल्ली की आवश्यकताएं हैं। सरकार और उद्योग जगत मिलकर ऐसे व्यावहारिक समाधान पर कार्य करेंगे, जिससे प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास प्रभावी हों और रोजगार एवं विकास की गति भी बनी रहे।

पत्नी से चल रहे विवाद के कारण युवक ने नाले में लगाई छलांग

नई दिल्ली। शाहदरा जिले के कांति नगर इलाके में एक युवक ने पत्नी से चल रहे विवाद के कारण नाले में छलांग लगा दी। युवक की मां उसको बचाने के लिए उसके पीछे चिल्लाती हुई आ रही थी। इससे पहले कि मां बेटे को बचा पाती उसने गहरे नाले में छलांग लगा दी। युवक के कूदते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। फौरन मामले की सूचना पुलिस को दी गई। बाद में गोताखोरों को मौके पर बुला लिया गया। काफी मशक्कत के बाद नसीम खान (30) नामक युवक को अचेत अवस्था में नाले से निकाला गया। बाद में उसे डॉ.हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उसका शव कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा। शुरूआती जांच में पुलिस को पता चला है कि नसीम का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। पत्नी बच्चों को लेकर उससे अलग रहती थी।

सोमवार को मां से बातचीत के दौरान अचानक नसीम गुस्से में आत्महत्या के लिए निकला। इससे पहले की मां उसे बचा पाती, उसने नाले में छलांग लगा दी। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि नसीम अपने परिवार के साथ सरताज मोहल्ला, गली नंबर-6, कांति नगर, कृष्णा नगर में रहता था।

गुरुग्राम व बादशाहपुर में पहले ई-वाहनों का मुफ्त में हुआ पंजीकरण

- 30 लाख तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर माफ
- खरीदारों को मिल रहा लाखों रुपये का सीधा लाभ

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम



हरियाणा सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नई कर छूट नीति लागू होने के साथ ही गुरुग्राम जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण शुरू हो गया है। नई व्यवस्था के तहत मंगलवार को गुरुग्राम और बादशाहपुर उपमंडल में पहला इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किया गया है।

30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट मिलने से वाहन खरीदारों को पंजीकरण के समय सीधे हजारों से लेकर लाखों रुपये तक का लाभ मिल रहा है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई यह नीति पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने से प्रदूषण में कमी लाने और स्वच्छ एवं हरित परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई कर छूट व्यवस्था का लाभ पात्र वाहन खरीदारों को सीधे मिल रहा है और इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता बढड्ढे की उम्मीद है। नई कर छूट नीति चार दिन पूर्व 21 अगस्त 2026 से धरातल पर लागू हुई। इसके साथ ही प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की नई व्यवस्था प्रभावी हो गई। गुरुग्राम जिले के गुरुग्राम तथा बादशाहपुर उपमंडल में नई व्यवस्था के तहत पहला इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किया गया। परिवहन विभाग की पंजीकरण रसीद के अनुसार गुरुग्राम निवासी विक्रांत द्वारा महिंद्रा की बीई फॉर्मूला ईवी कार के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। नई व्यवस्था के तहत इस वाहन पर देय दो लाख 44 हजार 900 रुपये का मोटर वाहन कर पूरी तरह माफ हो गया। विक्रांत ने कहा कि इलेक्ट्रिक कार के पंजीकरण के दौरान मोटर वाहन कर में पूरी छूट मिलने से उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिली। उन्होंने सरकार की इस पहल को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाला सराहनीय कदम बताया। बादशाहपुर उपमंडल निवासी राशिल गोयल द्वारा टाटा टियागो ईवी के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। नई कर छूट नीति के तहत उन्हें 81 हजार 120 रुपये के मोटर वाहन कर का सीधा लाभ मिला। राशील गोयल ने कहा इस नीति से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा और ईवी अपनाने को बढ़ावा मिलेगा।

पड़ोसी लड़की से बेटे की शादी से नाराज था परिवार, पिता पर डंडों से हमला

- संजय कॉलोनी में 8-9 साथियों के साथ मिलकर मारपीट करने का आरोप

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद



संजय कॉलोनी में बेटे की पड़ोस में रहने वाली युवती से शादी करने से नाराज आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक के पिता पर डंडों से हमला कर दिया। पुलिस चौकी संजय कॉलोनी की टीम ने कार्रवाई करते हुए मामले में तेजपाल निवासी संजय कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक डंडा भी बरामद किया गया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, संजय कॉलोनी निवासी हरी सिंह ने शिकायत दी कि उसके बेटे जितेंद्र ने पड़ोस में रहने वाली युवती से शादी की थी। इसके बाद युवती के परिवार वाले उससे रंजिश रखने लगे। आरोप है कि 24 अगस्त की सुबह तेजपाल अपने 8-9 साथियों के साथ उसके पास पहुंचा और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान डंडों से भी हमला किया गया। शिकायत के आधार पर थाना मुजेसर में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि तेजपाल की बेटी ने शिकायतकर्ता के बेटे जितेंद्र से शादी की थी। इसी बात को लेकर तेजपाल कथित तौर पर हरी सिंह से रंजिश रखता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल डंडा बरामद किया है। पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

डीयू के महाविद्यालयों में सखी पहल के तहत मनाया रक्षाबंधन

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के विभिन्न महिला महाविद्यालयों में सखी पहल के तहत रक्षाबंधन मनाया और छात्राओं की सुरक्षा, सम्मान एवं अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस पहल के तहत एनएसयूआई की महिला सदस्यों ने छात्राओं और महिला पुलिसकर्मियों को राखी बांधी।

इस पहल के माध्यम से एनएसयूआई ने स्पष्ट संदेश दिया कि महिला छात्राएं अकेली नहीं हैं। छात्राओं की सुरक्षा और परिसर से जुड़े उनके मुद्दों को उठाने के लिए एनएसयूआई हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि रक्षाबंधन विश्वास, जिम्मेदारी और सुरक्षा का पर्व है।

एमसीडी ने कुदसिया बाग में वृक्षारोपण अभियान का किया आयोजन

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने मंगलवार को कश्मीरी गेट स्थित ऐतिहासिक कुदसिया बाग में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाना, जैव विविधता में सुधार करना तथा एक स्वस्थ शहरी वातावरण का निर्माण करना रहा। दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त संजीव मित्तल, अतिरिक्त आयुक्त बी एस जगलान तथा जोनल उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया और स्थल पर पौधे लगाए। इस अवसर पर उद्यान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा स्थानीय निवासी भी उपस्थित रहे। कुदसिया बाग में सुबह सैर करने वाले तथा नियमित रूप से आने वाले बड़ी संख्या में लोगों ने भी इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनता के सशक्त समर्थन को दर्शाता है। अभियान के दौरान कुल 101 पौधे रोपे गए, जिनमें फूलदार, फलदार तथा छायादार वृक्षों की प्रजातियाँ शामिल थीं। इनमें आम, जामुन, अमरूद, इमली, आंवला, कटहल, अमलतास, कचनार, चंपा, गुलमोहर, हरसिंगार और नीम आदि प्रजातियां शामिल थीं। देशी एवं जलवायु के अनुकूल प्रजातियों के इस विविध चयन से इस ऐतिहासिक बाग के पारिस्थितिक और सौंदर्यपरक मूल्य में वृद्धि होगी, साथ ही यह छाया, मौसमी फूल, फल तथा पक्षियों व अन्य शहरी जैव विविधता के लिए आवास भी प्रदान करेगा। अतिरिक्त आयुक्त ने इस बात पर बल दिया कि वृक्षारोपण केवल एक दिवसीय गतिविधि नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है।

PUBLIC NOTICE

I, Aditya S/o Ram Khiladi R/o S-81/229, Indra Camp 2, Hari Nagar Ashram, Delhi 110014 declare that names of my father and my mother have been wrongly written as Shri Ram and Bhagbati Devi respectively in my secondary school examination certificate Further declare that name of my mother has been wrongly written as Bhagwati in my Senior secondary school examination certificate That actual names of my father and mother are Ram Khiladi and Bhagwati Devi respectively.

Public Notice

My Client **Shyam Lal** S/o Tapu Bhai R/o **A-4 / 432, Paschim Vihar, New Delhi-110063,** hereby Severe Relations & Debar his son **Anand Parmar** from all his movable, immovable properties due to his conduct disobedience. My Client will not be responsible for his any acts in future.

Ramesh Chander (Advocate)
Ch-68, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi

PUBLIC NOTICE

My client named Sh. Jai Prakash, S/o- Sh. Pat Ram, & Smt. Mukesh, W/o- Sh. Jai Prakash, R/o- H. No. T-34, Street No. 2, Shiv Mandir, Village-Tukmirpur, Karawal Nagar, North-East, Delhi-110094, have debarred, disowned, disinherited & withdrawn all relationships with their son and daughter-in-law (Bahu) named Sh. Pankaj Kumar and Smt. Rakhi from their moveable, immovable properties & Business as being disobedient, disrespectful, out of control and of quarrelsome nature. My client has also severed and disconnected all their relations & ties with them. If anyone deals with them, he/she/they may do so at their own risk, cost and consequences. My client shall not be responsible to anybody for their acts and deeds.

K.K. JHA, MANISH KUMAR, (ADVOCATES)
CHAMBER NO. Y-2A, CIVIL SIDE,
TIS HAZARI COURT, DELHI- 110054

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री अनिल कुमार, आवासीय संपत्ति क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, खसरा संख्या 51/2, ग्राम हैबतपुर, दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, बिक्री विलेख दिनांक 15.10.2014(दस्तावेज संख्या 9605) और बिक्री विलेख दिनांक 11.07.2018(दस्तावेज संख्या 5032) के माध्यम से मालिक हैं। अब, उक्त संपत्ति को मनीवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट नंबर-2415, द कोरेथम, चौथी मंजिल, टॉवर-ए, सेक्टर-62, नोएडा-201301 द्वारा वित्तपोषित और बंधक किया जाना है। यह कि, श्रीमती शकुंतला गुप्ता के पक्ष में मूल बिक्री विलेख दिनांक 15.10.2014 (दस्तावेज़ संख्या 9601), (2) श्री रामदास के पक्ष में मूल बिक्री विलेख दिनांक 26.02.2016 (दस्तावेज़ संख्या 1367) और (3) श्री नागेंद्र सिंह के पक्ष में मूल बिक्री विलेख दिनांक 17.08.2016 (दस्तावेज़ संख्या 8609) है। जो खो गई है। इसलिए, बैंक/एनबीएफसी की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, हम यह सार्वजनिक सूचना देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति उक्त संपत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा/अधिकार/स्वामित्व/हित/बंधक बनाने में कोई आपत्ति है तो वह आज से 7 दिनों के भीतर, अपनी आपत्तियों के बारे में नीचे दिए गए पते पर लिखित रुप में सूचित कर सकता है। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि उक्त संपत्ति सभी प्रकार के भार, ग्रहणाधिकार आदि से मुक्त है।

लुसेम लीगल एलएलपी
बी-93बी, द्वितीय तल, एसबीआई बैंक के सामने, सेक्टर 2, नोएडा, यूपी-201301, संपर्क #0120-4269379

राष्ट्रीय खेल दिवस पर हापुड़ के दो खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री करेंगे संवाद

पायनियर समाचार सेवा। हापुड़



राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के तहत आगामी 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के खिलाड़ियों और युवाओं से संवाद करेंगे। हापुड़ जनपद के मोनाड विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के लिए चिह्नित किया गया है। मोनाड विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिले के दो खिलाड़ियों हिमानी संद्ध और मयंक कुमार से सीधे संवाद करेंगे, और कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। उप क्रीड़ा अधिकारी अरुणा सिंह और जिला युवा अधिकारी एकता मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन देशभर में चयनित 150 जिलों के शिक्षण संस्थानों में सुबह 8:00 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम को लेकर मोनाड विश्वविद्यालय में तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है और अधिक से अधिक युवाओं एवं खिलाड़ियों की सहभागिता सुनिश्चित करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री के संवाद के बाद स्थानीय स्तर पर युवा संवाद और खेल जगत से जुड़े व्यक्तियों के साथ चर्चा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने, खेल सुविधाओं के विस्तार तथा खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध अवसरों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। कार्यक्रम में पिछले दस वर्षों के दौरान देश में खेल सुविधाओं के विकास, खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के प्रयासों तथा आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। युवा संवाद सत्र के दौरान प्रतिभागी युवा अपने विचार और सुझाव भी प्रस्तुत कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार युवाओं से प्राप्त सुझावों को निर्धारित रजिस्टर में दर्ज कर आगे भेजा जाएगा। यदि किसी युवा का सुझाव उपयोगी और प्रभावी पाया जाता है तो उसे संबंधित खिलाड़ी के नाम से प्रकाशित किए जाने की भी व्यवस्था की जाएगी।

सिंटेक्स प्योर के साथ मानसून में स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुरक्षा

नोएडा। मानसून के दौरान स्वच्छ और सुरक्षित पानी का भंडारण बेहद जरूरी हो जाता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सिंटेक्स ने उन्नत एंटी-माइक्रोबियल तकनीक से तैयार अपना जल भंडारण टैंक सिंटेक्स प्योर पेश किया है। यह टैंक पानी में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और शैवाल जैसे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकने में मदद करता है। सिंटेक्स प्योर लेड-फ्री, एनएसएफ-प्रमाणित और 100 प्रतिशत फूड-ग्रेड वर्जिन प्लास्टिक से बनाया गया है। इसकी बाहरी परत पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित है, जबकि इसमें एंटी-माइक्रोबियल अंदरूनी परत वाला यूवी-सुरक्षित थ्रेडेड ढक्कन भी दिया गया है। कंपनी इस टैंक पर 20 साल की वारंटी भी दे रही है। मानसून में भारी बारिश के कारण सीवेज सिस्टम के ओवरफ्लो होने से जल स्रोतों के दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में दूषित पानी से होने वाली बीमारियों का जोखिम भी बढ़ता है। कंपनी के अनुसार, निम्न गुणवत्ता वाले पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने कुछ टैंकों में मौजूद हानिकारक रसायनों के पानी में मिल जाने की आशंका स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय हो सकती है। ऐसे में सिंटेक्स प्योर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक परिवारों के लिए बेहतर विकल्प के रूप में सामने आता है। सिंटेक्स और वेलस्पन बीएपीएल के प्रबंध निदेशक यशोवर्धन अग्रवाल ने कहा कि सिंटेक्स लंबे समय से नई तकनीक के माध्यम से सुरक्षित और जिम्मेदार जल भंडारण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पानी की टंकी केवल उपयोगी वस्तु नहीं, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

IN THE COURT OF THE HON'BLE CITY CIVIL AND SESSIONS JUDGE, AT BENGALURU

P and SC. No. 270/2026 (CCH-25)

BETWEEN : 1. Mr. S. Srinath, Son of S.R. Prabhu Aged about 67 years, Residing at 519, 20th Main, Jayanagar 4th T. Block, Bangalore - 560041.
...**Petitioner No. 1**

2. Ms. Devyani Hinshaw, Daughter of Mr. Benoy Hajra, Aged about 76 years old, Residing at Flat No. 101, Tefilah Rose, No. 155, Wheeler Road, Frazer Town, Bangalore - 560005.
...**Petitioner No. 2**

AND : 1. Mrs. Indira Oberoi, W/o Late Mr. Karm Sheel Oberoi, Residing at D 278, Defense Colony, Delhi-110024.
...**Respondent No. 1**

2. Rohan Oberoi, S/o Late Sh. Karm Sheel Oberoi, Residing at D 278, Defense Colony, Delhi- 110024.
...**Respondent No. 2**

3. Pia Oberoi, D/o Late Sh. Karm Sheel Oberoi, Residing at D 278, Defense Colony, Delhi- 110024.
...**Respondent No. 3**

SUMMONS TO RESPONDENTS BY WAY OF PAPER PUBLICATION UNDER ORDER 5 RULE 20 OF CPC

Summons to:

1. **Mrs. Indira Oberoi,** W/o Late Mr. Karm Sheel Oberoi, Residing at D 278, Defense Colony, Delhi-110024.
2. **Rohan Oberoi,** S/o Late Sh. Karm Sheel Oberoi, Residing at D 278, Defense Colony, Delhi-110024.
3. **Pia Oberoi,** D/o Late Sh. Karm Sheel Oberoi Residing at D 278, Defense Colony, Delhi-110024.

Whereas the Petitioner has filed the present Petition seeking for the grant of probate in respect of the Will dated 05.04.2007, against you, and you are summoned to appear before **III ADDL. CITY CIVIL AND SESEIONS JUDGE (CCH-25)** in person or pleader, **on the day of 18.09.2026 at 11:00 A.M** to answer the claim, failing which the suit would be disposed of exparte.

SCHEDULE

S.No.	PROPERTY DESCRIPTION
1.	1,00,000 Shares of Titan Company Limited in the Joint name of Indira Oberoi and Karm Sheel Oberoi in Folio No. TWI0000643.
2.	10,000 Shares of Titan Company Limited in the Joint name of Indira Oberoi and Karm Sheel Oberoi in Folio No. TWI0000640.
3.	99 Shares of Mahindra Lifespace Developers Limited.
4.	241 Shares of the Great Eastern Shipping Company Limited.

Given under my hand and seal of the court on this the 20th day of August 2026 at Bengaluru.

BY ORDER OF THE COURT, Senior Sheristadar, City Civil Court, Bengaluru.

ADVOCATE FOR PETITIONER : **ATV LEGAL**
No. 29/4, Trade Centre, 1st Floor, Race Course Road, Bengaluru - 560 001.

SYMBOL OF QUALITY

रुंगटा इर्रिगेशन लिमिटेड

पंजीकृत एवं मुख्य कार्यालय:
101, प्रगति टावर, 26, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
फोन: 011-40453332 | सीआईएन: एल74899डीएल1986पीएलसी023934,
ई-मेल: cs@rungtairrigation.in | वेबसाइट: www.rungtairrigation.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के जरिए आयोजित की जाने वाली रुंगटा इर्रिगेशन लिमिटेड की 42वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम')

नोटिस दिया जाता है कि रुंगटा इरिगेशन लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 42 वीं एजीएम मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को 12:00 P.M पर VC/OAVM के माध्यम से आयोजित की जाएगी। (आई. एस. टी.) ए. जी. एम. की सूचना ('सूचना') में निर्धारित व्यवसाय का लेन-देन करना जिसे ए. जी. एम. बुलाने के लिए परिचालित किया जा रहा है।

ई-मेल के माध्यम से सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की सेवा:
संबंधित सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2025-26 ('वार्षिक रिपोर्ट') के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस की प्रतियां केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के सदस्यों/रजिस्टर को शनिवार, 22 अगस्त, 2026 तक भेजी जाएंगी और जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (ओं) के साथ पंजीकृत हैं। यह कंपनी की वेबसाइट i.e., www.rungtairigation.in, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट i.e., बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, उन शेयरधारकों को वेब-लिंक और नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए विस्तृत मार्ग प्रदान करने वाला एक सूचना पत्र भेजा जा रहा है, जिन्होंने कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (ओं) के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं किसी भी सदस्य को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी की आवश्यकता होती है, वह कंपनी को cs@rungtairigation.in पर लिख सकता है।

ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करने का ढंग:
भौतिक/डिमेटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य और जिन्होंने सूचना में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने ई-मेल पते को पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है। जो सदस्य कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को स्थायी रूप से पंजीकृत करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं -

डिमटेरियलाइज्ड रूप में रखे गए शेयरों के लिए	शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना ई-मेल पता अपने संबंधित डीपी के पास पंजीकृत कराएं।
भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए	शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे फॉर्म आईएसआर-1, पैन एवं आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि के साथ, आरटीए, मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के निकट, नई दिल्ली-110062 में जमा कराकर अपना ई-मेल पता आरटीए के साथ पंजीकृत कराएं। शेयरधारक उक्त फॉर्म आरटीए की वेबसाइट www.beetalfinancial.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.rungtairrigation.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

ई-मेल पता सफलतापूर्वक पंजीकृत होने के पश्चात, नोटिस की एक प्रति वार्षिक रिपोर्ट, यूजर आईडी एवं मतदान करने हेतु पासवर्ड के साथ पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल पते पहले ही पंजीकृत करा लिए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे भविष्य में अपने ई-मेल पते पर नोटिस/वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने हेतु अपने ई-मेल पते को अपने डीपी/आरटीए के साथ अद्यतन एवं वैध रखें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने तथा रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में मतदान करने की प्रक्रिया संबंधी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक 23.09.2026 से 29.09.2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेगा।

रुंगटा इर्रिगेशन लिमिटेड
हस्ता/-
रेखा राठौड़
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.08.2026

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, खटीमा

पीलीभीत रोड़, निकट इलाहाबाद बैंक, खटीमा (ऊधमसिंह नगर) दूरभाषः 05943-253646 ई-मेलः eecdkhatima@gmail.com

पत्रांक : 1186/निविदा/22 दिनांक : 25/08/2026

अल्प कालीन निविदा सूचना

एतद्द्वारा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पेयजल निगम की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा दिनांक 09.09.2026 को निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, खटीमा (ऊधमसिंह नगर) में अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक 09.09.2026 को अपरान्ह 3:30 बजे में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम खटीमा (ऊधमसिंह नगर) में खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्रों का विक्रय निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, खटीमा (ऊधमसिंह नगर) में दिनांक 08.09.2026 तक कार्यालय दिवस एवं कार्यालय समय में होगा।

क्र0 सं0	योजना का नाम	विकासखण्ड	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0)	धरोहर धनराशि (रू0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पंजीकृत श्रेणी
1	भुड़िया थारू ग्राम समूह पेयजल योजना में वितरण प्रणाली का विस्तार, घरेलू जल संयोजन, एवं तत्सम्बन्धित कार्य।	खटीमा	1000.00 +18% G.S.T.	28,800.00	60 दिन	"डी0" एवं उच्चतर
2	गुरूग्राम ग्राम समूह पेयजल योजना में वितरण प्रणाली का विस्तार, घरेलू जल संयोजन, एवं तत्सम्बन्धित कार्य।	सितारगंज	1000.00 +18% G.S.T.	16,000.00	60 दिन	"डी0" एवं उच्चतर

नोट—नियम एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय के नोटिस बोर्ड में अथवा कार्यालय में देखी जा सकती है।

(बी0एस0 रौतेला)
अधिशासी अभियन्ता

AXIS BANK LTD. रिटेल एसेट सेंटर, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस हाउस, टॉवर T-2, द्वितीय तल, I-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)-201301

रिटेल एसेट सेंटर, एक्सिस बैंक लिमिटेड, डीएफ 1ए, 2-3, प्रथम तल, आदित्य सिटी सेंटर, वैभव खंड-3, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी.-201010 एक्सिस बैंक लिमिटेड, हिमालय हाउस, अपर ग्राउंड फ्लोर एवं प्रथम तल, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, कॉर्पोरेट कार्यालय: ब्लॉक-बी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025, पंजीकृत कार्यालय: 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006।

मांग सूचना

जबकि नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं ने एक्सिस बैंक लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। हम सूचित करते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद, उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं द्वारा देय तिथियों के अनुसार ब्याज एवं मूलधन की राशियों के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूक की गई हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, खाते को नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों को मांग सूचनाएं जारी की, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचनाओं में उल्लिखित राशि के साथ-साथ सूचनाओं में उल्लिखित राशि पर संविदात्मक दर से आगे का ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि सहित राशि का भुगतान सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया है। उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पतों पर सूचनाएं जारी की गई थीं तथा उन्हें इस संबंध में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से भी एतद्द्वारा सूचित किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम / पता / सह-उधारकर्ता एवं गारंटर का नाम	(1). एनपीए तिथि (2). मांग सूचना की तिथि (3). सूचना की तिथि को बकाया राशि (रु.) (4). ऋण राशि (रु.)
1.	**श्री अजय कुमार (आवेदक)**, टॉवर 1 B, 2441 लैंड क्राफ्ट गोल्फ लिंक्स, NH-24 पांडव नगर, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल, ग्राम मेहरौली, गाजियाबाद-201001; **श्रीमती सीमा सिंह (सह-आवेदक)**, टॉवर 1 B, 2441 लैंड क्राफ्ट गोल्फ लिंक्स, NH-24 पांडव नगर, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल, ग्राम मेहरौली, गाजियाबाद-201001	(1). 09.07.2026, (2). 16.07.2026, (3). रु. 55,09,077.44/- (रुपये पचपन लाख नौ हजार सतहत्तर और चवालीस पैसे) (4). रु. 60,00,000/-
	सुरक्षित परिसंपत्तियों का संपत्ति पता: आवासीय कॉम्प्लेक्स "गोल्फ लिंक्स" के टॉवर 1 B में 24वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट सं. 2441, बिना छत के अधिकार के, ग्राम मेहरौली में स्थित, परगना दासना, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र., तथा इसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं: पूर्व: टाइटल डीड के अनुसार; पश्चिम: टाइटल डीड के अनुसार; उत्तर: टाइटल डीड के अनुसार; दक्षिण: टाइटल डीड के अनुसार।	
2.	**सतविंदर सिंह (आवेदक)**, वार्ड सं. 4, सर्कुलर रोड, धारूहेड़ा, मालपुरा 295, इंडस्ट्रियल एरिया धारूहेड़ा, कलावती स्कूल के पास, प्रजापत कॉलोनी, रेवाड़ी, हरियाणा-123110; **श्रीमती सविता देवी (सह-आवेदक)**, वार्ड सं. 4, सर्कुलर रोड, धारूहेड़ा, मालपुरा 295, इंडस्ट्रियल एरिया धारूहेड़ा, कलावती स्कूल के पास, प्रजापत कॉलोनी, रेवाड़ी, हरियाणा-123110	(1). 09.07.2026 (2). 17.07.2026 (3). रु. 18,38,071.60/- (रुपये अठारह लाख अड़तीस हजार इकहत्तर और साठ पैसे) (4). रु. 21,00,000/-
	सुरक्षित परिसंपत्तियों का संपत्ति पता: हाउसिंग खेवट सं. 93, खतौनी सं. 105, मस्टील सं. 62, किला सं. 18/1(5-0), 18/2(3-0), 8 कनाल, इसका 6/160, 6 मरला, ग्राम धारूहेड़ा, वार्ड सं. 7, प्रजापत कॉलोनी, रेवाड़ी, हरियाणा। इसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं: **पूर्व:** टाइटल डीड के अनुसार; **पश्चिम:** टाइटल डीड के अनुसार; **उत्तर:** टाइटल डीड के अनुसार; **दक्षिण:** टाइटल डीड के अनुसार।	
3.	**रवि शर्मा (आवेदक)**, ई-702, हिल व्यू अपार्टमेंट, सेक्टर-46, अमर नगर, फरीदाबाद-121003, साथ ही: **रवि शर्मा (आवेदक)**, मकान सं. K-81, जल विद्युत अपार्टमेंट, सेक्टर-216, फरीदाबाद, हरियाणा-121001; **श्रीमती शालिनी शर्मा (सह-आवेदक)**, ई-702, हिल व्यू अपार्टमेंट, सेक्टर-46, अमर नगर, फरीदाबाद-121003, **साथ ही:** श्रीमती शालिनी शर्मा (सह-आवेदक), मकान सं. K-81, जल विद्युत अपार्टमेंट, सेक्टर-216, फरीदाबाद, हरियाणा-121001।	(1). 09.07.2026 (2). 16.07.2026 (3). रु. 14,80,438/- (रुपये चौदह लाख अस्सी हजार चार सौ तैंतीस मात्र) (4). रु. 3,59,666/- एवं रु. 23,68,436/-
	सुरक्षित परिसंपत्तियों का संपत्ति पता: फ्लैट सं. 1001, 10वीं मंजिल, टॉवर C-4, गोल्फ विलेज TS-5, सेक्टर-22D, नोएडा, उ.प्र.। इसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं: **पूर्व:** टाइटल डीड के अनुसार; **पश्चिम:** टाइटल डीड के अनुसार; **उत्तर:** टाइटल डीड के अनुसार; **दक्षिण:** टाइटल डीड के अनुसार।	
4.	**स्वर्गीय श्री हरीश कुमार (उधारकर्ता), अपने सभी कानूनी वारिसों के माध्यम से; श्रीमती सुषमा धानी (सह-उधारकर्ता** एवं कानूनी वारिस), पत्नी स्वर्गीय श्री हरीश कुमार, A-1 पुलिस स्टाफ क्वार्टर्स, पुलिस स्टेशन शालीमार बाग, नई दिल्ली-110088, साथ ही: 7361, राम नगर, पहाड़ गंज, कुतुब रोड, नई दिल्ली-110055, साथ ही: निवासी C-49, टाइप-3, द्वितीय तल, SFS श्रेणी-2, पॉकेट-1, प्लेटिनम एन्क्लेव, सेक्टर-18, रोहिणी, दिल्ली-110089; **श्री जगदीश प्रसाद (कानूनी वारिस)**, पिता स्वर्गीय श्री हरीश कुमार, निवासी C-49, टाइप-3, द्वितीय तल, SFS श्रेणी-2, पॉकेट-1, प्लेटिनम एन्क्लेव, सेक्टर-18, रोहिणी, दिल्ली-110089, साथ ही: A-1 पुलिस स्टाफ क्वार्टर्स, पुलिस स्टेशन, शालीमार बाग, नई दिल्ली-110088, साथ ही: प्लॉट सं.-334, द्वितीय तल, सेक्टर-2B, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.; **श्री सलील धानी (कानूनी वारिस)**, पिता स्वर्गीय श्री हरीश कुमार, A-1 पुलिस स्टाफ क्वार्टर्स, पुलिस स्टेशन शालीमार बाग, नई दिल्ली-110088; **संदीप धानी (कानूनी वारिस)**, पिता स्वर्गीय श्री हरीश कुमार, A-1 पुलिस स्टाफ क्वार्टर्स, पुलिस स्टेशन शालीमार बाग, नई दिल्ली-110088	(1). 08.06.2026 (2). 30.07.2026 (3). रु. 5,30,216/- (रुपये पांच लाख तीस हजार दो सौ सोलह मात्र) (4). रु. 23,98,670/-
	सुरक्षित परिसंपत्तियों का संपत्ति पता: आवासीय प्लॉट सं. II-B/334, द्वितीय तल, सेक्टर-2B, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010, इसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं: **पूर्व:** टाइटल डीड के अनुसार; **पश्चिम:** टाइटल डीड के अनुसार; **उत्तर:** टाइटल डीड के अनुसार; **दक्षिण:** टाइटल डीड के अनुसार।	
5.	**श्री दीपक कुमार रे (उधारकर्ता), पिता स्वर्गीय श्री हरेकृष्ण रे**, निवासी 276, गली सं. 11, DDA, जनता फ्लैट्स, मदन गिर, नई दिल्ली-110062; **श्रीमती आद्यारश्मि बिस्वाल (सह-उधारकर्ता), पत्नी श्री दीपक कुमार रे**, निवासी 276, गली सं. 11, DDA, जनता फ्लैट्स, मदन गिर, नई दिल्ली-110062	(1). 23.06.2021 (2). 17.07.2026 (3). रु. 23,30,085/- (रुपये तेईस लाख तीस हजार पचासी मात्र) (4). रु. 28,05,669/-
	सुरक्षित परिसंपत्तियों का संपत्ति पता: आवासीय यूनिट सं. 1606, 16वीं मंजिल, टॉवर-II, इको विलेज-IV, प्लॉट सं. GH-01, सेक्टर-16-B, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. में स्थित। इसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं: **पूर्व:** साइट प्लान के अनुसार; **पश्चिम:** साइट प्लान के अनुसार; **उत्तर:** साइट प्लान के अनुसार; **दक्षिण:** साइट प्लान के अनुसार।	
6.	**श्रीमती सीमा राजसिंह (आवेदक)**, 27, वेस्ट कोस्ट क्रेसेंट, 21-19, ब्लू होराइजन, सिंगापुर-128048, साथ ही: V-142, खजूर वाली गली सं.-2, V-ब्लॉक, अरविंद नगर, घोंडा, दिल्ली-110053; **श्री अरुण कुमार (सह-आवेदक)**, 27, वेस्ट कोस्ट क्रेसेंट, 21-19, ब्लू होराइजन, सिंगापुर-128048, **साथ ही:** V-142, खजूर वाली गली सं.-2, V-ब्लॉक, अरविंद नगर, घोंडा, दिल्ली-110053; **श्री सतपाल गौतम (गारंटर)**, V-142, खजूर वाली गली सं.-2, V-ब्लॉक, अरविंद नगर, घोंडा, दिल्ली-110053।	(1). 08.11.2022 (2). 20.07.2026 (3). रु. 54,59,254/- (रुपये चौवन लाख उनसठ हजार दो सौ चौवन मात्र) (4). रु. 90,35,000/-
7.	**श्री शशिभूषण दाश (उधारकर्ता)**, फ्लैट सं. 150, द्वितीय तल, सिद्धार्थ एन्क्लेव, नई दिल्ली-110014; **श्रीमती मोनाली दाश (सह-उधारकर्ता)**, फ्लैट सं. 150, द्वितीय तल, सिद्धार्थ एन्क्लेव, नई दिल्ली-110014	(1). 10.12.2020, (2). 22.07.2026 (3). रु. 90,42,600/- (रुपये नब्बे लाख बयालीस हजार छह सौ मात्र) (4). रु. 59,75,000/-
	सुरक्षित परिसंपत्तियों का संपत्ति पता: यूनिट सं. KRH0072504, 24वीं मंजिल, टॉवर-KRH-07, क्रेसेंट होम्स, जेपी ग्रीन्स, नोएडा, उ.प्र. में स्थित। इसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं: **पूर्व:** साइट प्लान के अनुसार; **पश्चिम:** साइट प्लान के अनुसार; **उत्तर:** साइट प्लान के अनुसार; **दक्षिण:** साइट प्लान के अनुसार।	

उपर्युक्त परिस्थितियों में, उपर्युक्त उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं और/या उनके गारंटरों (जहां भी लागू हो) को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि वे उपर्युक्त उल्लिखित बकाया राशि के साथ-साथ भविष्य का ब्याज एवं लागू प्रभार, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें, ऐसा न करने पर इस सूचना की तिथि से 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात उधारकर्ताओं एवं बंधककर्ताओं की सुरक्षित परिसंपत्तियों पर, जिसमें प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) तथा उसके अंतर्गत लागू नियमों के तहत उधारकर्ताओं एवं बंधककर्ताओं की सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेना भी शामिल है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत आप सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागत, प्रभार एवं व्यय सहित बकाया राशि की संपूर्ण राशि का भुगतान कर सकते हैं, चाहे वह सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करके, सार्वजनिक से निविदा आमंत्रित करके अथवा निजी समझौते द्वारा की गई हो। कृपया यह भी ध्यान दें कि यदि सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) की सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करके, सार्वजनिक से निविदा आमंत्रित करके अथवा निजी समझौते द्वारा बिक्री की सूचना के प्रकाशन से पूर्व बैंक द्वारा वहन की गई लागत, प्रभार एवं व्यय सहित बकाया राशि की संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आप सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) को मोचन कराने के हकदार नहीं हो सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत, कोई भी उधारकर्ता, सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सूचना में उल्लिखित अपनी किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा।

दिनांक : 26 अगस्त 2026, स्थान : दिल्ली एनसी आर हस्ता./-, प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड